अध्याय-1
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

अध्याय-1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

यह अध्याय इक्विटी और दीर्घावधि ऋणों में सरकारी निवेश, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन को दर्शाने वाले विभिन्न अनुपातों, और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.1 परिचय

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (रा सा क्षे उ) शब्द में सरकारी कम्पनियाँ और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ, जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित किया गया है, और संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगम हैं, शामिल हैं।

सरकारी कम्पनी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 *प्रतिशत* केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों के पास या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास है, इसमें ऐसी कम्पनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी अन्य कम्पनी[1] को सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के रूप में संदर्भित किया जाता है।

सांविधिक निगम

एक निगम की स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित क़ानून के अंतर्गत की जाती है।

---

[1] कंपनियाँ (कठिनाइयों को दूर) सातवां आदेश, 2014 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (4 सितंबर 2014)।

उत्तराखण्ड में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक, 32 रा सा क्षे उ थे। 32 रा सा क्षे उ में से 27 सरकारी कम्पनियाँ, एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी, और चार सांविधिक निगम थे। कोई भी रा सा क्षे उ किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, 32 रा सा क्षे उ में से 23 रा सा क्षे उ[2] कार्यरत थे, और नौ रा सा क्षे उ (परिसमापन के अंतर्गत आठ रा सा क्षे उ सहित), जिन्होंने अपना संचालन बंद कर दिया था, अकार्यरत थे। रा सा क्षे उ द्वारा की जा रही गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, 23 कार्यरत रा सा क्षे उ को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, *अर्थात* ऊर्जा क्षेत्र (चार रा सा क्षे उ) और ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य (19 रा सा क्षे उ)।

1.1.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों एव् सी ए जी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सी ए जी, सनदी लेखाकार को सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है, और लेखाओं की लेखापरीक्षा के तरीकों पर निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, सी ए जी को इन कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने वाले क़ानून या तो सी ए जी को एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा, या सांविधिक निगमों को शासित करने वाली सम्बन्धित संविधियों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के बाद अनुपूरक लेखापरीक्षा करनी होती है।

1.1.2 सरकार और विधायिका की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रा सा क्षे उ के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। राज्य विधानमंडल भी रा सा क्षे उ के वार्षिक वित्तीय परिणामों की निगरानी करता है। इसके लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों और सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर सी ए जी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन, और सांविधिक निगमों

[2] 18 सरकारी कम्पनियाँ, एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ, और चार सांविधिक निगम।

के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394/395 के अंतर्गत या सांविधिक निगमों को शासित करने वाली सम्बन्धित संविधियों के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

1.1.3 वित्तीय विवरणों की स्थिति

कार्यरत 23 रा सा क्षे उ में से केवल पाँच रा सा क्षे उ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त, दो रा सा क्षे उ *अर्थात्* सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड ने अपना प्रथम वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया था। 21 रा सा क्षे उ[3] द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की क्षेत्रवार स्थिति **तालिका-1.1** में दी गई है।

तालिका-1.1: कार्यरत रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों की क्षेत्रवार स्थिति

क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत किए गए नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों की स्थिति		
		वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या	वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या	वर्ष 2020-21 या पिछले वर्षों के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या
ऊर्जा क्षेत्र	04	04	-	-
ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	17	01	07	09
योग	***21***	***05***	***07***	***09***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत किए गए 21 कार्यरत रा सा क्षे उ की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम उनके नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार ***परिशिष्ट-1.1*** में दिए गए हैं एवं **तालिका-1.2** में संक्षेप में दिए गए हैं।

[3] दो रा सा क्षे उ को छोड़कर, जिन्होंने 30 सितंबर 2023 तक अपना प्रथम वित्तीय विवरण भी जमा नहीं किया था।

तालिका-1.2: कार्यरत रा सा क्षे उ की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणामों का सारांश[4]

विवरण	धनराशि *(₹ करोड़ में)*
शेयर आवेदन राशि सहित प्रदत्त शेयर पूंजी (21 रा सा क्षे उ)[5]	4,001.62
दीर्घकालिक ऋण (13 रा सा क्षे उ)	5,027.21
टर्नओवर (18 रा सा क्षे उ)	12,569.17
शुद्ध लाभ (10 रा सा क्षे उ)	231.34
शुद्ध हानि (नौ रा सा क्षे उ)	(-)1,279.69
निरंक लाभ/हानि (दो रा सा क्षे उ)	-
लाभांश घोषित/भुगतान (दो रा सा क्षे उ)	25.01
कुल संपत्ति	32,432.58
निवल संपत्ति	(-)180.72

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

1.1.4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में रा सा क्षे उ का योगदान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) की तुलना में रा सा क्षे उ के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में उनकी गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखण्ड के स रा घ उ (₹ 3,03,781.00 करोड़)[6] में 18 कार्यरत रा सा क्षे उ[7] के टर्नओवर की हिस्सेदारी की तुलना क्षेत्रवार टर्नओवर[8] से **तालिका-1.3** में दी गयी है।

तालिका-1.3: उत्तराखण्ड के स रा घ उ में क्षेत्रवार टर्नओवर के सापेक्ष रा सा क्षे उ के टर्नओवर की हिस्सेदारी

क्र.सं.	क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	स रा घ उ में टर्नओवर की हिस्सेदारी *(प्रतिशत में)*
1.	ऊर्जा क्षेत्र	03	9,936.49	3.27
2.	ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	15	2,632.68	0.87
योग		***18***	***12,569.17***	***4.14***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

---

4 **तालिका-1.2** में दिए गए आँकड़े विभिन्न वर्षों के लिए रा सा क्षे उ के वित्तीय आँकड़ों के आधार पर संकलित किए गए हैं जैसा कि **तालिका-1.1** में दर्शाया गया है।

5 दो रा सा क्षे उ अर्थात सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड को छोड़कर, जिनसे प्रथम वित्तीय विवरण भी प्राप्त नहीं हुआ था।

6 अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के आँकड़ों के अनुसार।

7 23 रा सा क्षे उ में से 18 में टर्नओवर।

8 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार।

तालिका-1.3 से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के लिए इन 18 कार्यरत रा सा क्षे उ का टर्नओवर (₹ 12,569.17 करोड़), उत्तराखण्ड के स रा घ उ का 4.14 *प्रतिशत* था। स रा घ उ में टर्नओवर की उच्चतम हिस्सेदारी ऊर्जा क्षेत्र की थी, जिसने 3.27 *प्रतिशत* का योगदान दिया, जबकि ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य ने केवल 0.87 *प्रतिशत* का योगदान दिया।

1.2 रा सा क्षे उ में निवेश

रा सा क्षे उ में किए गए निवेश में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान की गई इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं। उत्तराखण्ड सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से रा सा क्षे उ को अनुदान और उपदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। 23 कार्यरत रा सा क्षे उ में निवेश पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

1.2.1 उत्तराखण्ड सरकार की रा सा क्षे उ में हिस्सेदारी

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 तक, 23 कार्यरत रा सा क्षे उ में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में किया गया क्षेत्रवार निवेश **तालिका-1.4** में दिया गया है।

तालिका-1.4: 31 मार्च 2023 तक रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	कुल निवेश			उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश		
		इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	योग	इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	योग
ऊर्जा क्षेत्र	04	3,660.29	4,431.49	8,091.78	3,655.29	618.28	4,273.57
ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	19	370.67	399.03	769.70	334.23	331.73	665.96
योग	***23***	***4,030.96***	***4,830.52***	***8,861.48***	***3,989.52***	***950.01***	***4,939.53***

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार।

तालिका-1.4 से यह देखा जा सकता है कि उत्तराखण्ड सरकार ने रा सा क्षे उ में ₹ 4,939.53 करोड़ (इक्विटी: ₹ 3,989.52 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण: ₹ 950.01 करोड़) का निवेश किया था, जो इन रा सा क्षे उ में कुल निवेश का 56 *प्रतिशत* था। आगे यह भी देखा जा सकता है कि रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए कुल निवेश का 87 *प्रतिशत* ऊर्जा क्षेत्र के रा सा क्षे उ में था।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 तक, 23 कार्यरत रा सा क्षे उ में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में किए गए निवेश का विवरण **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5: रा सा क्षे उ में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में किए गए निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक			31 मार्च 2023 तक		
	इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	योग	इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	योग
राज्य सरकार	3,856.25	929.70	4,785.95	3,989.52	950.01	4,939.53
केंद्र सरकार	15.42	2.30	17.72	15.42	1.91	17.33
अन्य	16.03	4,073.27	4,089.30	26.02	3,878.60	3,904.62
कुल	***3,887.70***	***5,005.27***	***8,892.97***	***4,030.96***	***4,830.52***	***8,861.48***
कुल निवेश में उत्तराखण्ड सरकार का अंश *(प्रतिशत में)*	*99.19*	*18.57*	*53.82*	*98.97*	*19.67*	*55.74*

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

तालिका-1.5 में, यह देखा जा सकता है कि रा सा क्षे उ में कुल निवेश 31 मार्च 2022 को ₹ 8,892.97 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2023 को ₹ 8,861.48 करोड़ हो गया।

वर्ष 2021-22 से 2022-23 के अंत में रा सा क्षे उ में कुल निवेश के स्रोतों का वर्षवार ब्यौरा **चार्ट-1.1** में नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1: रा सा क्षे उ में कुल निवेश के स्रोत

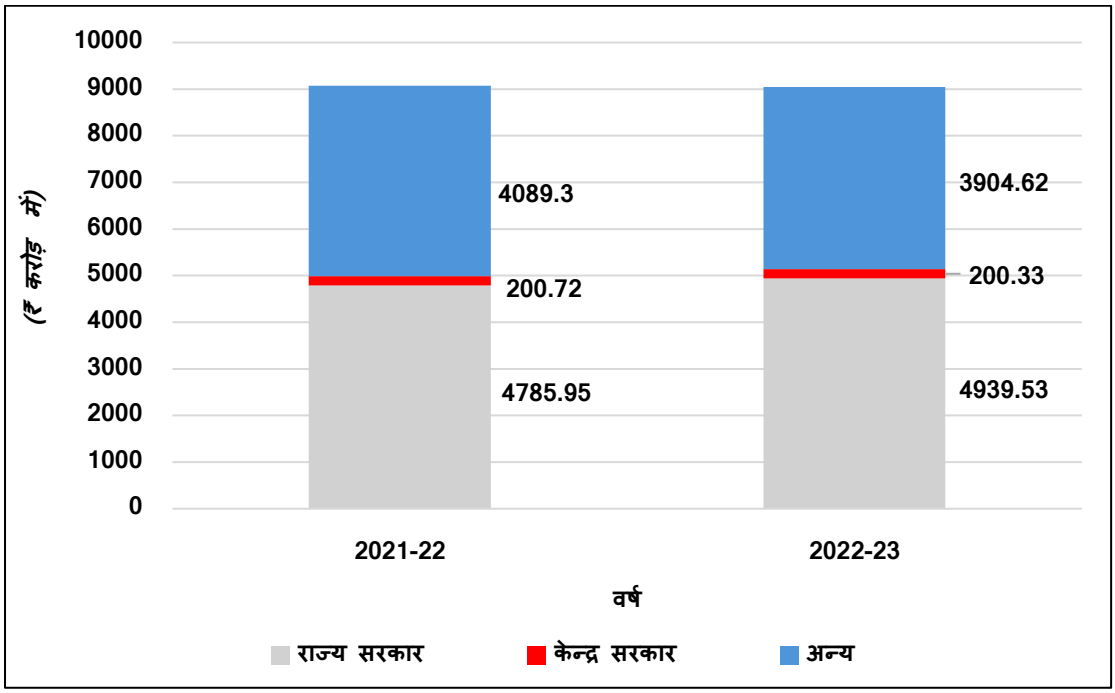

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

1.2.2 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

उत्तराखण्ड सरकार ने 2021-22 से 2022-23 तक दो वर्षों के दौरान चार रा सा क्षे उ में इक्विटी के रूप में ₹ 234.68 करोड़ की राशि का निवेश किया। रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी 2021-22 में ₹ 101.41 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 133.27 करोड़ हो गई। इसके अतिरिक्त, 2021-22 से 2022-23 तक दो वर्षों के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी का रा सा क्षे उ-वार विवरण **तालिका-1.6** में दिया गया है।

तालिका-1.6: 2021-22 और 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी का रा सा क्षे उ-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	इक्विटी निवेश		
		2021-22	2022-23	योग
1.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15.00	40.00	55.00
2.	पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	20.00	69.00	89.00
3.	यू जे वी एन लिमिटेड.	65.91	23.82	89.73
4.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	0.50	0.45	0.95
योग		***101.41***	***133.27***	***234.68***

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर संकलित।

तालिका-1.6 में यह देखा जा सकता है कि अधिकतम इक्विटी तीन ऊर्जा क्षेत्र के रा सा क्षे उ *अर्थात* यू जे वी एन लिमिटेड (38.24 *प्रतिशत)*, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (37.92 *प्रतिशत)* और उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (23.44 *प्रतिशत)* में की गई थी।

1.2.3 रा सा क्षे उ को प्रदान किए गए ऋण

रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, 10 कार्यरत रा सा क्षे उ के पास 31 मार्च 2022 तक ₹ 5,005.27 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक कुल ₹ 4,830.52 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण बकाया था। इनमें से, उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त ऋण 31 मार्च 2022 को ₹ 929.70 *करोड़ (18.57 प्रतिशत*) के सापेक्ष 31 मार्च 2023 को ₹ 950.01 करोड़ (19.67 *प्रतिशत)* था।

रा सा क्षे उ के बकाया दीर्घकालिक ऋणों की वर्ष-वार स्थिति **चार्ट-1.2** में दर्शाई गई है।

चार्ट-1.2: रा सा क्षे उ के बकाया दीर्घकालिक ऋण

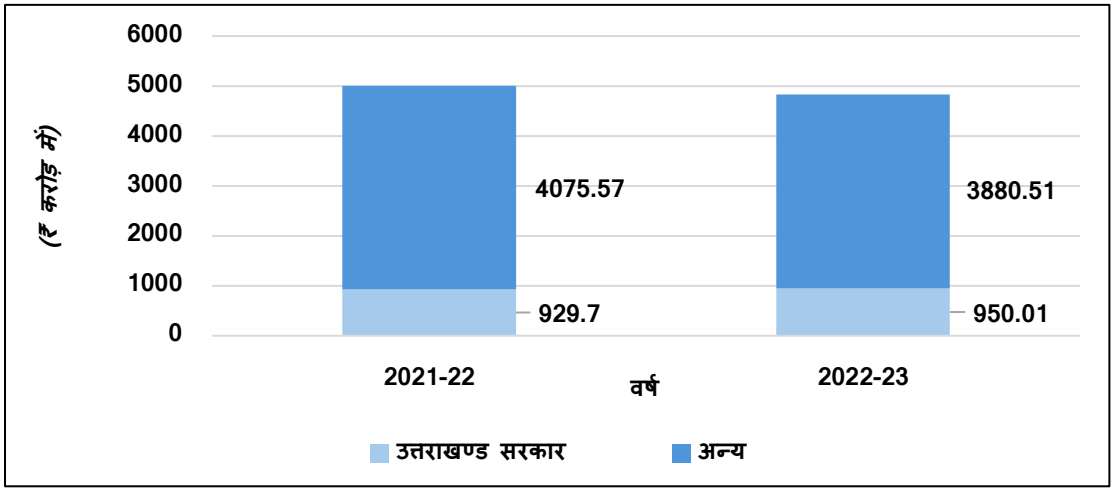

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

चार्ट-1.2 में, यह देखा जा सकता है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा रा सा क्षे उ को दिए गए दीर्घकालिक ऋण की बकाया राशि 31 मार्च 2022 को ₹ 929.70 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 तक ₹ 950.01 करोड़ हो गई। इसके अतिरिक्त, अन्य स्रोतों से बकाया दीर्घकालिक ऋण 31 मार्च 2022 को ₹ 4,075.57 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2023 को ₹ 3,880.51 करोड़ हो गया।

1.2.4 अन्य बजटीय सहायता

इक्विटी में निवेश करने और रा सा क्षे उ को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त, उत्तराखण्ड सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से रा सा क्षे उ को अनुदान और उपदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले दो वर्षों के दौरान अनुदान और उपदान के रूप में रा सा क्षे उ को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई बजटीय सहायता का विवरण **तालिका-1.7** में संक्षेप में दिया गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले रा सा क्षे उ को गारंटियाँ प्रदान की।

तालिका-1.7: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा रा सा क्षे उ को प्रदान की गई बजटीय सहायता और गारंटियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22		2022-23	
	रा सा क्षे उ की संख्या	धनराशि	रा सा क्षे उ की संख्या	धनराशि
अनुदान और उपदान	09	1,284.27	11	2,097.31
वर्ष के दौरान जारी की गई गारंटी	04	318.71	03	225.57
वर्ष के अंत में बकाया गारंटी प्रतिबद्धताएं	04	186.48	03	101.18

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

तालिका-1.7 से, यह देखा जा सकता है कि अनुदान और उपदान के रूप में रा सा क्षे उ को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई बजटीय सहायता 2021-22 में ₹ 1,284.27 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 2,097.31 करोड़ हो गई।

1.2.5 बकाया लेखाओं वाले रा सा क्षे उ में निवेश एवं अन्य बजटीय सहायता

प्रशासनिक विभागों का यह उत्तरदायित्व है कि वे रा सा क्षे उ के कार्यकलापों की निगरानी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित अवधि के भीतर रा सा क्षे उ लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करे तथा अपना लें। प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभागों को बकाया लेखाओं की स्थिति के बारे में नियमित रूप[9] से सूचित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सरकार ने, 23 कार्यरत रा सा क्षे उ में से, 10 रा सा क्षे उ को ₹ 2,208.10 करोड़ (इक्विटी: ₹ 13.20 करोड़; दीर्घकालिक ऋण: ₹ 46.17 करोड़; अनुदान और उपदान: ₹ 2,148.73 करोड़) की बजटीय सहायता उस अवधि के दौरान प्रदान की, जिस अवधि के लिए इन रा सा क्षे उ के लेखे, 31 मार्च 2023 तक बकाया थे। जिस अवधि के लिए लेखे बकाया थे, उस अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेशों और प्रदान की गई अन्य बजटीय सहायता का रा सा क्षे उ-वार ब्यौरा ***परिशिष्ट-1.2*** में दिया गया है।

लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने और तदुपरांत उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जिस प्रयोजन के लिए राशि का निवेश/प्रदान किया गया था, उसे प्राप्त कर लिया गया। अत: इन रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया निवेश/अन्य बजटीय सहायता राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रही।

1.2.6 उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, दीर्घकालिक ऋणों तथा बकाया गारंटियों के संबंध में आँकड़े उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित रा सा क्षे उ और उत्तराखण्ड सरकार के वित्त विभाग को अन्तर का समाधान करना चाहिए। 31 मार्च 2023 तक इक्विटी, ऋण और गारंटी[10] के आँकड़ों में अंतर **तालिका-1.8** में दिए गए हैं।

---

[9] तिमाही आधार पर।

[10] 20 रा सा क्षे उ के संबंध में इक्विटी, आठ रा सा क्षे उ के संबंध में ऋण और तीन रा सा क्षे उ के संबंध में गारंटी।

तालिका-1.8: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के साथ-साथ रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण और गारंटियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार राशि	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि
इक्विटी	3,989.52	4,043.90
ऋण	950.01	731.13
गारंटी	101.18	33.45

स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई जानकारी और वित्त लेखाओं के आधार पर संकलित।

1.2.7 अकार्यरत रा सा क्षे उ का समापन

राज्य में नौ अकार्यरत रा सा क्षे उ (परिसमापन के अंतर्गत आठ सहित) थे। इन रा सा क्षे उ द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार, इनमें ₹ 16.26 करोड़ का निवेश था, जिसमें पूंजी ₹ 12.14 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 9.45 करोड़ और अन्य: ₹ 2.69 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण ₹ 4.12 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 4.09 करोड़ और अन्य: ₹ 0.03 करोड़) थे। यह एक गंभीर क्षेत्र है क्योंकि अकार्यरत रा सा क्षे उ में निवेश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं करता है। उत्तराखण्ड सरकार इन रा सा क्षे उ के संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई कर सकती है।

1.3 ऋणों का विश्लेषण

रा सा क्षे उ द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 23 कार्यरत रा सा क्षे उ में से 13 रा सा क्षे उ के पास कुल ₹ 5027.21 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण बकाया थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-1.1*** में वर्णित किया गया है। इन रा सा क्षे उ के ऋणों का विश्लेषण, सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण को चुकाने की रा सा क्षे उ की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। इसका आकलन ब्याज कवरेज अनुपात और दीर्घकालिक ऋणों के लिए कुल परिसंपत्तियों के अनुपात के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण भी किया गया था। विश्लेषण के परिणामों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

1.3.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की किसी इकाई की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसी अवधि के लिए ब्याज व्यय द्वारा ब्याज और करों से पहले इकाई की आय (ई बी आई टी) को विभाजित

करके गणना की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, इकाई की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से नीचे ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि इकाई ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं कर रही है। नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, बकाया ऋण और वित्त लागत वाले 12 रा सा क्षे उ के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण **तालिका-1.9** में दिया गया है।

तालिका-1.9: रा सा क्षे उ के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण

रा सा क्षे उ का प्रकार	रा सा क्षे उ की संख्या जिनके पास बकाया ऋण और वित्त लागत थी	ब्याज (₹ करोड़ में)	ई बी आई टी (₹ करोड़ में)	एक के बराबर या अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाले रा सा क्षे उ की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाले रा सा क्षे उ की संख्या
सरकारी कम्पनियाँ	10	429.03	-611.16	5	5
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1	2.17	-2.65	-	1
सांविधिक निगम	1	8.35	-10.95	-	1
योग	***12***[11]	***439.55***	***-624.76***	***5***	***7***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.9 में यह देखा जा सकता है कि सात रा सा क्षे उ का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जो इंगित करता है कि ये रा सा क्षे उ अपनी ब्याज देयता का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं कर सके।

1.3.2 दीर्घकालिक ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल संपत्तियों से दीर्घकालिक ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई इकाई शोधनक्षम है। शोधनक्षम माना जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 21 रा सा क्षे उ में कुल संपत्तियों के मूल्य के अनुसार दीर्घकालिक ऋणों का कवरेज **तालिका-1.10** में दिया गया है।

[11] एक रा सा क्षे उ यानी उत्तराखण्ड परिवहन निगम की ऋण देयता है लेकिन वित्त लागत (ब्याज) की प्रतिपूर्ति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की जाती है। इस प्रकार, वित्त लागत "शून्य" है।

तालिका-1.10: रा सा क्षे उ की कुल संपत्तियों के साथ दीर्घकालिक ऋणों के कवरेज का विवरण

रा सा क्षे उ का प्रकार	सकारात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	रा सा क्षे उ की संख्या	दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	कुल संपत्ति (₹ करोड़ में)	कुल संपत्ति का कुल दीर्घकालिक ऋणों से अनुपात	रा सा क्षे उ की संख्या	दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	कुल संपत्ति (₹ करोड़ में)	कुल संपत्ति का कुल दीर्घकालिक ऋणों से अनुपात
सरकारी कम्पनियाँ	15	4,770.56	22,710.94	4.76	1	131.14	105.66	0.81
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1	19.5	78.89	4.05	0	0	0	0
सांविधिक निगम	4	106.01	9,537.09	89.96	0	0	0	0
कुल	***20***	***4,896.07***	***32,326.92***	***6.60***	***1***	***131.14***	***105.66***	***0.81***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.10 से यह देखा जा सकता है कि 21 रा सा क्षे उ में से 20 रा सा क्षे उ की सम्पत्ति उसके द्वारा लिय गए ऋण से अधिक थी जबकि एक रा सा क्षे उ अर्थात डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड की कुल संपत्तियां बकाया दीर्घावधि ऋणों से कम थीं।

1.3.3 ब्याज शुल्क की अदायगी और मूलधन का पुनर्भुगतान

नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुसार जिन 13 रा सा क्षे उ पर ऋण देयता थी, उनमें से **तालिका-1.11** में दिए गए शीर्ष तीन रा सा क्षे उ अपने ऋण (मूलधन/ब्याज लागत) की अदायगी में चूक गए थे।

तालिका-1.11: उन रा सा क्षे उ का विवरण जो अपने ऋण की अदायगी में चूक गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	ऋण का स्रोत	नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	डिफ़ॉल्ट की राशि
1.	यू जे वी एन लिमिटेड	उत्तराखण्ड सरकार	2022-23	42.03
2.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	उत्तराखण्ड सरकार और मंडी परिषद	2021-22	388.33
3.	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	उत्तराखण्ड सरकार और बैंक	2021-22	2.11
योग				***432.47***

स्रोत: सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.11 से, यह देखा जा सकता है कि ऋण की अदायगी में चूक राशि की उच्चतम राशि (कुल चूक राशि का 89.79 *प्रतिशत)* डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड की थी।

1.3.4 उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, 31 मार्च 2023 तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋणों का चार रा सा क्षे उ पर ₹ 512.36 करोड़ का ब्याज बकाया था। उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका-1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.12: उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर कुल बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम का बकाया ब्याज	1 वर्ष से 3 वर्ष का बकाया ब्याज	3 वर्षों से अधिक का बकाया ब्याज
1.	यू जे वी एन लिमिटेड	10.16	3.33	4.17	2.66
2.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	273.12	21.29	63.87	187.96
3.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	223.79	0	0	223.79
4.	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	5.29	0.88	2.82	1.59
	योग	***512.36***	***25.50***	***70.86***	***416.00***

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित।

तालिका-1.12 से यह देखा जा सकता है कि तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया ब्याज का एक बड़ा हिस्सा दो रा सा क्षे उ *अर्थात* डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड और किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड से संबंधित था।

1.4 रा सा क्षे उ का तरलता विश्लेषण

चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो एक इकाई की अपने अल्पकालिक दायित्वों या उन बकाया राशि का भुगतान करने की क्षमता को मापता है जो एक वर्ष के भीतर देय हैं। यह इकाई की चालू परिसंपत्तियों की तुलना उसकी चालू देनदारियों से करता है। यह एक इकाई की अल्पकालिक शोधन क्षमता का एक उपयोगी आकलन है। एक से कम का चालू अनुपात इंगित करता है कि इकाई के अल्पकालिक दायित्व उसकी अल्पकालिक परिसंपत्तियों से अधिक हैं, और यह अपनी उपलब्ध चालू परिसंपत्तियों के साथ इस तरह के बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। एक से अधिक का चालू अनुपात इंगित करता है कि इकाई के पास अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अल्पकालिक संपत्ति है। चालू अनुपात का सूत्र है:

$$\text{चालू अनुपात} = \frac{\text{चालू संपत्ति}}{\text{चालू दायित्व}}$$

लेखापरीक्षा ने 21 कार्यरत रा सा क्षे उ[12] के चालू अनुपात का विश्लेषण उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार किया और पाया कि वर्ष के अंत में सात रा सा क्षे उ का चालू अनुपात एक से कम था, जो दर्शाता है कि इन रा सा क्षे उ के पास अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अल्पकालिक परिसंपत्तियाँ नहीं थीं। एक से कम के चालू अनुपात वाले रा सा क्षे उ का विवरण **तालिका-1.13** में दिया गया है।

तालिका-1.13: एक से कम के चालू अनुपात वाले रा सा क्षे उ का विवरण

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	चालू संपत्ति (₹ करोड़ में)	चालू दायित्व (₹ करोड़ में)	चालू अनुपात
1.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1,442.78	7,786.93	0.19
2.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	103.05	526.56	0.20
3.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	149.92	426.13	0.35
4.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	2022-23	2.78	6.43	0.43
5.	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	2021-22	63.51	72.85	0.87
6.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	159.41	435.63	0.37
7.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	1,033.66	2,086.88	0.50

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

1.4.1 रा सा क्षे उ में निवेश पर प्रतिफल

रा सा क्षे उ में निवेश पर प्रतिफल का मूल्यांकन इक्विटी पर आय और नियोजित पूंजी पर आय अनुपातों का उपयोग करके किया गया था। इसके अतिरिक्त, लाभ कमाने वाले रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश भुगतान का भी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

1.4.2 इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (ई प प्र) वित्तीय निष्पादन का एक माप है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन लाभ उत्पन्न करने के लिए किसी इकाई की संपत्ति का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से कर रहा है। इसकी गणना शेयरधारक निधि द्वारा शुद्ध आय *(अर्थात,*

[12] दो रा सा क्षे उ को छोड़कर जिन्होंने अपना प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

करों के बाद शुद्ध लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी गणना किसी भी इकाई के लिए की जा सकती है जहाँ शेयरधारक निधि सकारात्मक है।

किसी इकाई के शेयरधारक निधि की गणना प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचय से, संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है। यह उस राशि को प्रदर्शित करता है जो इकाई के हितधारकों के लिए छोड़ी जाएगी, यदि सभी संपत्तियां बेची जाएं और ऋण चुका दिए जाएं। एक सकारात्मक शेयरधारक निधि इंगित करती है कि इकाई के पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, जबकि एक ऋणात्मक शेयरधारक निधि का मतलब है कि देनदारियां संपत्ति से अधिक हैं।

21 रा सा क्षे उ में से सात रा सा क्षे उ के पास ऋणात्मक शेयरधारक निधि थी। लेखापरीक्षा ने शेष 14 रा सा क्षे उ के लिए ई प प्र की गणना उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर की और पाया कि नौ रा सा क्षे उ का ई प प्र सकारात्मक था, तीन रा सा क्षे उ का ई प प्र ऋणात्मक था[13], और दो रा सा क्षे उ का ई प प्र निरंक[14] था, जैसा कि **तालिका-1.14** में वर्णित गया है।

तालिका-1.14: रा सा क्षे उ की इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण

रा सा क्षे उ का प्रकार	ई प प्र वाले रा सा क्षे उ की संख्या	निरंक ई प प्र वाले रा सा क्षे उ की संख्या	सकारात्मक ई प प्र वाले रा सा क्षे उ की संख्या	
			10 *प्रतिशत* तक	10 *प्रतिशत* से अधिक
सरकारी कम्पनियाँ	3	2	3	4
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	-	-	-	-
सांविधिक निगम	-	-	1	1
योग	***3***	***2***	***4***	***5***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त 14 रा सा क्षे उ का क्षेत्र-वार ई प प्र **तालिका-1.15** में दिया गया है।

---

[13] ई प प्र ऋणात्मक था क्योंकि इन रा सा क्षे उ ने अपने नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार नुकसान उठाया था।

[14] ई प प्र 'शून्य' था क्योंकि इन रा सा क्षे उ ने अपने नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार न तो लाभ अर्जित किया था और न ही नुकसान उठाया था।

तालिका-1.15: इक्विटी पर क्षेत्र-वार प्रतिफल

क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	शुद्ध आय *(₹ करोड़ में)*	शेयरधारक निधि *(₹ करोड़ में)*	ई प प्र *(प्रतिशत में)*
ऊर्जा क्षेत्र	3	137.51	3,802.32	3.62
ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	11	62.16	1,116.52	5.57
कुल	***14***	***199.67***	***4,918.84***	***4.06***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.15 से, यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा क्षेत्र का ई प प्र 3.62 *प्रतिशत* था, ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य का ई प प्र 5.57 *प्रतिशत* था।

1.4.3 निवल संपत्ति का क्षरण

निवल संपत्ति से तात्पर्य कुल प्रदत्त पूंजी, मुक्त संचय और अधिशेष से संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर है। यह इस बात का माप है कि कोई इकाई मालिकों के लिए कितनी मूल्यवान है। एक ऋणात्मक निवल संपत्ति इंगित करती है कि मालिकों का पूरा निवेश संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय से समाप्त हो गया है।

21 रा सा क्षे उ की प्रदत्त पूंजी, मुक्त संचय और अधिशेष/संचित घाटे, आस्थगित राजस्व व्यय और निवल संपत्ति[15], उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, ***परिशिष्ट-1.1*** में वर्णित हैं और **तालिका-1.16** में संक्षेप में दिए गए हैं।

तालिका-1.16: रा सा क्षे उ के निवल संपत्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

रा सा क्षे उ का प्रकार	प्रदत्त पूंजी	मुक्त संचय और अधिशेष (+)/ संचित घाटा (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल संपत्ति
सरकारी कम्पनियाँ	3,758.57	-3,847.64	निरंक	-89.07
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	4.08	-29.68		-25.60
सांविधिक निगम	238.97	-305.02		-66.05
कुल	***4,001.62***	***-4,182.34***		***-180.72***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

21 रा सा क्षे उ के निवल संपत्ति के विश्लेषण से पता चला कि, उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, छः रा सा क्षे उ की कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इन रा सा क्षे उ की प्रदत्त पूंजी, मुक्त संचय और अधिशेष ₹ 1,796.68 करोड़ था, जबकि संचित घाटा (-)₹ 6,588.68 करोड़ था। इन छः रा सा क्षे उ का विवरण **तालिका-1.17** में दिया गया है।

[15] दो रा सा क्षे उ ने अपने प्रथम लेखाओं को जमा नहीं किया।

तालिका-1.17: अधिकतम निवल संपत्ति क्षरण वाले रा सा क्षे उ का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	निवल संपत्ति क्षरण
1	उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-3,758.16
2	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	-435.65
3	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	-276.41
4	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-3.06
5	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	-25.60
6	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	-293.12
	कुल योग	***-4,792.00***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

1.4.4 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (नि पू प्र) एक अनुपात है जो किसी इकाई की लाभप्रदता और उसकी पूंजी के उपयोग की दक्षता को मापता है। नि पू प्र की गणना ई बी आई टी को नियोजित पूंजी[16] से विभाजित करके की जाती है। 21 रा सा क्षे उ में से सात रा सा क्षे उ की ऋणात्मक नियोजित पूंजी थी। लेखापरीक्षा ने शेष 14 रा सा क्षे उ के नि पू प्र की गणना उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर की, और पाया कि नौ रा सा क्षे उ का नि पू प्र सकारात्मक था, तीन रा सा क्षे उ का नि पू प्र ऋणात्मक था, और दो रा सा क्षे उ में 'निरंक' नि पू प्र था, जैसा कि **तालिका-1.18** में वर्णित है।

तालिका-1.18: रा सा क्षे उ के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण

रा सा क्षे उ का प्रकार	ऋणात्मक नि पू प्र वाले रा सा क्षे उ की संख्या	निरंक नि पू प्र वाले रा सा क्षे उ की संख्या	सकारात्मक नि पू प्र ई वाले रा सा क्षे उ की संख्या	
			10 *प्रतिशत तक*	10 *प्रतिशत* से अधिक
सरकारी कम्पनियाँ	3	2	4	3
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	-	-	-	-
सांविधिक निगम	-	-	1	1
योग	***3***	***2***	***5***	***4***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

इसके अतिरिक्त, सभी 21 रा सा क्षे उ की क्षेत्र-वार नि पू प्र **तालिका-1.19** में दी गई है।

[16] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित घाटा- आस्थगित राजस्व व्यय। ये आँकड़े रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार हैं।

तालिका-1.19: नियोजित पूंजी पर क्षेत्र-वार प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	ई बी आई टी	नियोजित पूंजी	नि पू प्र *(प्रतिशत में)*
1.	ऊर्जा क्षेत्र	4	-666.83	4,475.66	*-14.90*
2.	ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	17	108.85	370.83	*29.35*
योग		***21***	***-557.98***	***4,846.49***	***-11.51***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका-1.19 में यह देखा जा सकता कि ऊर्जा क्षेत्र की नि पू प्र (-)14.90 *प्रतिशत* था जबकि ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य की नि पू प्र 29.35 *प्रतिशत* था।

1.4.5 रा सा क्षे उ में लाभांश भुगतान

उत्तराखण्ड सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की है जिसके अंतर्गत रा सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा अंशदान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम लाभांश का भुगतान करना अपेक्षित हो। 10 रा सा क्षे उ[17] में से, जिन्होंने अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित किया, ऊर्जा क्षेत्र के केवल दो रा सा क्षे उ अर्थात् यू जे वी एन लिमिटेड और पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 20.01 करोड़ और ₹ 5.00 करोड़ के लाभांश का भुगतान/घोषणा किया।

1.5 रा सा क्षे उ की परिचालन दक्षता

रा सा क्षे उ की परिचालन दक्षता का आकलन उनके द्वारा अर्जित लाभ और हुई हानि का विश्लेषण करके किया गया था। इसके अतिरिक्त, उनके टर्नओवर के सापेक्ष निवल लाभ मार्जिन का भी आकलन किया गया था। विश्लेषण के परिणामों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

1.5.1 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित लाभ

नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 10 रा सा क्षे उ ने कुल ₹ 231.34 करोड़ का लाभ अर्जित किया। ₹ 20 करोड़ या उससे अधिक का लाभ अर्जित करने वाले चार रा सा क्षे उ का विवरण **तालिका-1.20** में दिया गया है।

[17] एक रा सा क्षे उ अर्थात किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड को अपने नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरण के अनुसार ₹ 294.40 करोड़ का घाटा हुआ था।

तालिका-1.20: ₹ 20 करोड़ या उससे अधिक का लाभ अर्जित करने वाले रा सा क्षे उ का विवरण

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	कर के पश्चात शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	रा सा क्षे उ के कुल लाभ में लाभ की प्रतिशतता
1.	पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	21.87	9.45
2.	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	115.64	49.99
3.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	20.26	8.76
4.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	48.65	21.03
योग			***206.42***	***89.23***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.20 से यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त चार रा सा क्षे उ ने 10 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 231.34 करोड़) का लगभग 89 *प्रतिशत* योगदान दिया, जिसमें अकेले यू जे वी एन लिमिटेड का लाभ, कुल लाभ का लगभग 50 *प्रतिशत* था।

1.5.2 रा सा क्षे उ को हुई हानि

नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, नौ रा सा क्षे उ को कुल ₹ 1,279.69 करोड़ की हानि हुई। ₹ 1,259.53 करोड़ की हानि उठाने वाले शीर्ष तीन रा सा क्षे उ का विवरण **तालिका-1.21** में दिया गया है।

तालिका-1.21: ₹ 1,259.53 करोड़ की हानि उठाने वाले शीर्ष तीन रा सा क्षे उ का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	हानि की राशि	रा सा क्षे उ के कुल हानि में हानि की प्रतिशतता
1.	उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1,223.64	95.62
2.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	16.59	1.30
3.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	19.30	1.51
योग			***1,259.53***	***98.43***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.21 से यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त तीन रा सा क्षे उ की हानि नौ रा सा क्षे उ को हुई कुल हानि (₹ 1,279.69 करोड़) का लगभग 98 *प्रतिशत* है, जिसमें अकेले उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का योगदान कुल हानि का लगभग 96 *प्रतिशत* है।

1.5.3 टर्नओवर के सापेक्ष निवल लाभ मार्जिन

टर्नओवर के सापेक्ष निवल लाभ मार्जिन एक अवधि के दौरान टर्नओवर की प्रतिशतता के रूप में सृजित लाभ को मापता है। यह एक इकाई के वित्तीय स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। यह हितधारकों को इकाई की परिचालन दक्षता का आकलन करने और यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या इकाई अपने टर्नओवर से पर्याप्त आय उत्पन्न कर रही है। इसकी गणना इकाई के टर्नओवर के सापेक्ष शुद्ध लाभ की प्रतिशतता के रूप में की जाती है।

अपने नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 21 रा सा क्षे उ में से नौ रा सा क्षे उ को हानि हुई, दो रा सा क्षे उ ने न लाभ न हानि की सूचना दी और तीन रा सा क्षे उ[18] ने 'निरंक' टर्नओवर की सूचना दी। शेष 10 रा सा क्षे उ के टर्नओवर की तुलना में निवल लाभ मार्जिन का ब्यौरा **तालिका-1.22** में दिया गया है।

तालिका-1.22: रा सा क्षे उ के टर्नओवर के सापेक्ष शुद्ध लाभ मार्जिन का विवरण

रा सा क्षे उ का प्रकार	10 *प्रतिशत* से कम शुद्ध लाभ मार्जिन वाले रा सा क्षे उ की संख्या	10 से 20 *प्रतिशत* के बीच शुद्ध लाभ मार्जिन वाले रा सा क्षे उ की संख्या	20 *प्रतिशत*[19] से अधिक शुद्ध लाभ मार्जिन वाले रा सा क्षे उ की संख्या
सरकारी कम्पनियाँ	5	1	2
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	-	-	-
सांविधिक निगम	1	-	1
योग	***6***	***1***	***3***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त 10 रा सा क्षे उ के टर्नओवर के सापेक्ष क्षेत्र-वार निवल लाभ मार्जिन **तालिका-1.23** में दिया गया है।

तालिका-1.23: टर्नओवर के सापेक्ष क्षेत्र-वार निवल लाभ मार्जिन

क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	शुद्ध लाभ *(₹ करोड़ में)*	टर्नओवर *(₹ करोड़ में)*	निवल लाभ मार्जिन *(प्रतिशत में)*
ऊर्जा क्षेत्र	2	137.51	1,382.19	9.95
ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	8	93.83	1,564.66	6.00
योग	***10***	***231.34***	***2,946.85***	***7.85***

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

[18] हानि/न लाभ न हानि वाले रा सा क्षे उ में सम्मिलित।

[19] यह 22.63 *प्रतिशत* से 261.76 *प्रतिशत* के बीच है।